

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1633
10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न
चीनी का निर्यात

1633. श्री विजयकुमार उर्फ बिजय वसंत:

श्री बी. मणिव्कम टैगोर:

श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी उद्योग की 2 मिलियन टन की मांग के बावजूद, 2025-26 के चीनी सीजन के लिए निर्यात आवंटन 1.5 मिलियन टन तक सीमित कर दिया गया है और यदि हाँ, तो उद्योग इनपुट की अनदेखी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने शीरे के निर्यात पर 50 प्रतिशत का निर्यात शुल्क हटा दिया है और यदि हाँ, तो राजकोष को होने वाले अनुमानित राजस्व नुकसान का ब्यौरा क्या है और सरकार इसे राजकोषीय विवेकशीलता के संदर्भ में किस प्रकार उचित ठहराती है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अतिरिक्त उत्पादन और बढ़ते निर्यात के बीच गन्ना किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इथेनॉल में चीनी का उपयोग कम (4.5 मीट्रिक टन की अपेक्षा 3.4 मीट्रिक टन) हो रहा है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा भविष्य के इथेनॉल संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या 28.5 मीट्रिक टन की घरेलू मांग के मुकाबले 34 मीट्रिक टन इथेनॉल का उत्पादन होने की उम्मीद है और यदि हाँ, तो कीमतों में बड़ी गिरावट और बर्बादी को रोकने के लिए अतिरिक्त 5.5 मीट्रिक टन के प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सरकार की प्राथमिकता घरेलू बाजार में उचित मूल्य पर खपत के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके बाद, अधिशेष चीनी को इथेनॉल उत्पादन के लिए भेजा

जाएगा और फिर निर्यात किया जाएगा। वर्तमान चीनी मौसम 2025-26 के प्रारंभिक उत्पादन अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।

(ख): शीरा पर 50% निर्यात शुल्क लगाने का उद्देश्य पिछले चीनी मौसम (अक्टूबर-सितंबर) 2023-24 और 2024-25 के दौरान कम गन्ना उत्पादन को ध्यान में रखते हुए एक अस्थायी हस्तक्षेप के रूप में था, जिससे इथेनॉल उत्पादन और अन्य औद्योगिक उपयोगों के लिए फीडस्टॉक की कमी हो सकती थी। अब, वर्तमान चीनी मौसम 2025-26 के उत्पादन अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, देश में इथेनॉल उत्पादन और अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त शीरा उपलब्ध होगा। तदनुसार, सरकार ने दिनांक 14.11.2025 से शीरा पर 50% निर्यात शुल्क हटा दिया है।

(ग): अधिशेष चीनी के प्रबंधन, चीनी मिलों की तरलता में सुधार और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने चीनी मौसम 2025-26 के दौरान 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। इसके अलावा, सरकार ने शीरा पर 50% निर्यात शुल्क हटा दिया है जिससे चीनी मिलों की चलनिधि में सुधार होगा और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिलेगी।

(घ) और (ङ): तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा आवंटित 1048 करोड़ लीटर इथेनॉल में से, लगभग 289 करोड़ लीटर गन्ना-आधारित फीडस्टॉक के लिए आवंटित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 34 लाख टन चीनी इथेनॉल में परिवर्तित हो गई है। सरकार ने अतिरिक्त चीनी के प्रबंधन और मिलद्वारा कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए 15 लाख टन चीनी के निर्यात की भी अनुमति दी है।
